

an>

title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be Laid on the Table.

...(Interruptions)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): I beg to lay on the Table –

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 5585/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 5586/16/16]

...(Interruptions)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदया, मैं श्रीमती मेनका संजय गांधी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) सेंट्रल सोशल वेल्फेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेंट्रल सोशल वेल्फेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5587/16/16]

â€(लवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library. See No. LT 5588/16/16]

(ख) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library. See No. LT 5589/16/16]

(ग) (एक) 31.6.2016 को समाप्त हुए तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इविबटी श्रेयधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) 31.6.2016 को समाप्त हुए तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इविटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library. See No. LT 5590/16/16]

- (दो) (एक) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. See No. LT 5591/16/16]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (क) (एक) न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library. See No. LT 5592/16/16]

(2) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2016 जो 29 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 640(अ) में प्रकाशित हुए थे।
(दो) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 18 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 532(अ) में प्रकाशित हुए थे।
(तीन) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2016 जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1041(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT 5593/16/16]

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्य) पांचवां संशोधन विनियम, 2016 जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-12/मानक/एसपी (मिठाई, मिश्रितान) / एफएसएसआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।
(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-120(2)/मानक/विकिरण विकिरण/एफएसएसआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।
(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योग्य) छठा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-120 (1) / मानक / विकिरण विकिरण/ एफएसएसआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।
(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विष और अवशिष्ट) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 13 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-99/एसपी(संदूषक)/अम/एफएसएसआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।
(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफोसो 3-14पी/अधिसूचना (न्यूट्रास्यूटिकल्स/एफएसएसआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।
(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योग्य) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 3-14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्यूटिकल्स)/ एफएसएसआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।
(सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योग्य) सातवां संशोधन विनियम, 2016, जो 27 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. मानक/एसपी (वाटर एंड बेवरेजेज)/अधिसूचना (2)/ एफएसएसआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।
(आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योग्य) आठवां संशोधन विनियम, 2016, जो 14 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. मानक/सीपीएलवयोसीपी/ ईएम/ एफएसएसआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।
(नौ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारखाने का अनुज्ञापिका और रजिस्ट्रीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2-15015/30/2012 में प्रकाशित हुए थे।
(दस) खाद्य सुरक्षा और मानक (विकिरण पर प्रतिषेध और निर्बन्धन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सोमानक/एफ एंड वीपी/अधिसूचना (02)/ एफएसएसआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT 5594/16/16]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016, जो 22 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील विधि अधिकरण नियम, 2016, जो 22 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 717(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (लेख) नियम, 2016, जो 27 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2016, जो 27 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 743(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण-पत्र) चौथा संशोधन नियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम, 2016, जो 9 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (पूर्वबंध और प्रशासन) संशोधन नियम, 2016, जो 23 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2016, जो 1 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 936(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (रजिस्ट्रार कार्यालय और शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2016, जो 7 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1049(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5595/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं.का.आ. 2922(अ), जो 12 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची पांच में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5596/16/16]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखती हूँ :-

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखो।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त(1)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5597/16/16]

(3) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 की उपधारा (3) के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016, जो 21 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 898 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5598/16/16]

â€¦(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013 –

(1) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT 5599/16/16]

(2) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 5600/16/16]

(ii) Annual Report of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) (i) Review by the Government of the working of the BEL Optronics Devices Limited, Pune, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT 5601/16/16]

(4) (i) Review by the Government of the working of the BEL-Thales Systems, Bengaluru, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the BEL-Thales Systems, Bengaluru, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT 5602/16/16]